IV 48

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22-9-010

<u>दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)</u>

श्री जगन्नाथ सिंह व श्रीमती पुष्पा सिंह व वेदप्रकाश सिंह व राजीव सिंह व सत्यदेव सिंह व विद्यावती व धनंजय व [illegible] सिंह और श्रीमती [illegible] द्वारा ट्रस्ट की स्थापना कर पंजीकरण हेतु प्रस्तुत ।

ट्रस्ट का नाम:-	: हरिवंशी द्वारिका एजुकेशनल ट्रस्ट (न्यास)
पता	: तवक्कलपुर उर्फ डन्डापुर
पोस्ट	: मरदह
थाना	: मरदह
परगना	: पचोतर
तहसील व जिला	: गाजीपुर
मुख्यालय	: पंजीकृत कार्यालय ,हरिवंशी द्वारिका एजुकेशनल ट्रस्ट तवक्कलपुर उर्फ डन्डापुर,परगना पचोतर, जिला-गाजीपुर (उ.प्र.) आवश्यकतानुसार उपरोक्त मुख्यालय को अन्य उचित जगह समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य:	ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न भिन्न स्थान पर शिक्षण संस्थाये यानी प्राथमिक विद्यालय, महा विद्यालय, शैक्षणिक

(क्रमशः---2)

जगन्नाथ सिंह

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

14 SEP 2010

विद्यालय व चिकित्सा शिक्षा संस्था आदि की स्थापना और ग्रामीण अंचल के मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना है। प्रौढ़ शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व विभिन्न कलाओं का देश- प्रदेश के कोने कोने में प्रकाश फैले, उसके लिये हर संभव उपाय करना/ स्थापना करना ट्रस्ट का लक्ष्य है। कम शुल्क में तथा पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिये ट्रस्ट हर समय प्रयत्नशील रहेगा । ट्रस्ट भूमि भवन व पूंजी की व्यवस्था कर देश -प्रदेश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्बल , मध्यम व दलितों को आत्मनिर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठायेगा ।

ट्रस्ट दैवीय आपदा में जिला व राज्य प्रशासन का समय साधन से समय समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। सरकारी, अर्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन से समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि का क्रय विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज[पट्टा] पर देना ।

ट्रस्ट की विधि

प्रतिपदता : हरिवंशी द्वारिका एजूकेशनल ट्रस्ट संपंजीकृत अधिनियम 21, 1960 अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत

[क्रमशः----3]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

U 17[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

. 8.

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा ।

24. ट्रस्ट [न्यास] द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:
ट्रस्ट [न्यास] द्वारा अथवा उसके विरुद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित्त नियुक्त कर सकती है।

25. ट्रस्ट [न्यास] के अभिलेख:
ट्रस्ट [न्यास] के समस्त अभिलेख जैसे सदस्यता रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर स्टाक रजिस्टर कैश बुक आदि कोषाध्यक्ष संस्थागत ट्रस्टी के पास होंगे।

26. हरिवंशी द्वारिका एजूकेशनल ट्रस्ट [न्यास] के पास इस सदस्यता शुल्क के माध्यम से 75000/- [पचहत्तर हजार रु.] प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध है।

27. ट्रस्ट [न्यास] के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही ट्रस्ट [न्यास] के विघटन और विघटित सम्पत्ति की निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

29ए. हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरकालेज तथा डिग्री कालेज, स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं विधि महाविद्यालय की स्थापना करना व उसका संचालन करना ।

29. बी. संस्था को आगे बढ़ाने के लिये 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना ।

29. सी. सरकार द्वारा चलाई जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को लाभान्वित करना आदि।

जगन्नाथ सिं[illegible]

मसविदाकर्ता: [signature] 22-9-10
आर [illegible]

दिनांक:

दस्तखत गवाह:

[illegible] परमानन्दपुर
ग्राम भैरोपुर परगना [illegible] जिला गाजीपुर
[illegible]
[illegible] जिला गाजीपुर